एम/एस सिंह एंटरप्राइजेज

विरुद्ध

कमीश्नर ऑफ सेंट्रल एक्साइज, जमशेदपुर और अन्य

14 दिसंबर, 2007

[डॉ. अरिजीत पसायत और आफताब आलम, जे.]

केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944:

धारा 35(1) प्रावधान आयुक्त (अपील) को अपील अवधि की सीमा-आयुक्त (अपील) 21 महीने की देरी को माफ करने से इनकार - निर्णय: देरी को माफ करने की प्रार्थना को स्वीकार करने की अवधि विधायिक रूप से निर्धारित - धारा 35 की उपधारा (1) का प्रावधान स्पष्ट रूप से बताता है कि अपीलीय प्राधिकारी को निर्दिष्ट अवधि के बाद अपील प्रस्तुत करने की अनुमति देने का कोई अधिकार नहीं है - लिमिटेशन एक्ट की धारा 5 को पूरी तरह से बाहर रखा गया है - लिमिटेशन एक्ट, 1963 - भारत का संविधान, 1950 - अनुच्छेद 226.

शब्द और वाक्यांश:

'पर्याप्त कारण' का अर्थ, केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 144 की धारा 35(1) के संदर्भ में।

यह तात्कालिक अपील उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ दायर की गई थी, जिसमें केंद्रीय उत्पाद और सेवा कर आयुक्त (अपील) के निर्णय को बरकरार रखा गया था, जिसमें उन्होंने मूल आदेश की सेवा की तारीख के 21 महीने बाद दायर की गई अपील को खारिज कर दिया था। यह मानते हुए कि अपीलीय प्राधिकारी के पास केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 35 के तहत निर्धारित 60 दिनों की अवधि समाप्त होने के बाद 30 दिनों की अवधि से अधिक की देरी को माफ करने की शक्ति नहीं है।

अपीलकर्ता-आसेसी की ओर से यह तर्क दिया गया कि उच्च न्यायालय, संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत अपने अधिकार का प्रयोग करके देरी को माफ कर सकता है। यह प्रस्तुत किया गया कि लिमिटेशन एक्ट, 1963 की धारा 5 की तर्कसंगतता को देरी को माफ करने के लिए उपयोग किया जा सकता है।

अपील को खारिज करते हुए, न्यायालय ने निर्णय दिया:

1.1. केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 35(1), उस समय लागू स्थिति के अनुसार, स्पष्ट रूप से दिखाती है कि अपील 60 दिनों के भीतर दायर की जानी चाहिए लेकिन प्रावधान के अनुसार अपीलीय प्राधिकारी द्वारा अपील को स्वीकार करने के लिए अतिरिक्त 30 दिनों का समय दिया जा सकता है। इस प्रकार, धारा 35(1) का पहला प्रावधान स्थिति को स्पष्ट करता है कि निर्णय या आदेश की सूचना की तिथि से तीन महीने के भीतर अपील की जानी चाहिए। [पैरा 8] [956-ए-सी]

1.2. धारा 35 की उपधारा (1) का प्रावधान, उस समय लागू स्थिति के अनुसार, स्पष्ट रूप से बताता है कि अपीलीय प्राधिकारी के पास 30 दिनों की अवधि के बाद अपील को प्रस्तुत करने की अनुमति देने का कोई अधिकार

नहीं है। प्रयुक्त भाषा स्थिति को स्पष्ट करती है कि विधायिका ने अपीलीय प्राधिकारी को केवल 60 दिनों की सामान्य अवधि के बाद 30 दिनों तक देरी को माफ करने का अधिकार दिया है। इसलिए, लिमिटेशन एक्ट की धारा 5 को पूरी तरह से बाहर रखा गया है। आयुक्त (अपील) और उच्च न्यायालय, इसलिए, 30 दिनों की अवधि समाप्त होने के बाद देरी को माफ करने का कोई अधिकार नहीं था। [पैरा 8] [956-बी-डी]

2.1. आयुक्त (अपील) और ट्रिब्यूनल, दोनों ही विधायिक प्राणी हैं और उन्हें विधायिक द्वारा निर्धारित अवधि के बाद देरी को माफ करने का कोई अधिकार नहीं है। जिस अवधि तक देरी माफ करने की प्रार्थना स्वीकार की जा सकती है, वह विधायिक रूप से निर्धारित है। [पैरा 8] [955-जी]

2.2. 'पर्याप्त' कारण एक अभिव्यक्ति है जो विभिन्न विधानों में पाई जाती है। इसका मुख्य अर्थ है पर्याप्त या पर्याप्त मात्रा में। देरी के कारण के स्पष्टीकरण को स्वीकार या अस्वीकार करने के लिए कोई एकसूत्री नियम नहीं हो सकता। इस मामले में, लगभग 20 महीनों की असामान्य देरी के लिए दिया गया स्पष्टीकरण यह है कि अपीलकर्ता का व्यवसाय 1998 के बाद व्यावहारिक रूप से बंद हो गया था और यह केवल कुछ समय के लिए खोला गया था। देरी माफी के लिए दिए गए आवेदन से प्रतीत होता है कि अपीलकर्ता ने स्पष्ट रूप से स्वीकार किया है कि आदेश प्राप्त होने पर उसे तुरंत सलाहकार को अपील दाखिल करने के लिए सौंप दिया गया था। किसी भी स्थिति में, देरी माफी के लिए दिखाए गए कारणों का कोई स्वीकार्य मूल्य नहीं है।

[पैरा 10] [956-ई-एफ; 957-ए]

आई.टी.सी. लिमिटेड **बनाम** *भारत संघ,* **[1998] 8 एससीसी 610, लागू नहीं।**

नागरिक अपीलीय अधिकारिता: सिविल अपील संख्या 5949, 2007।

झारखंड उच्च न्यायालय, रांची के दिनांक 03.01.2006 के अंतिम निर्णय और आदेश से, डब्ल्यू.पी.(टी) संख्या 6360, 2004।

सुनिल कुमार, अभय पी. सहाय और कुलदीप सिंह अपीलकर्ता के लिए।

बी. कृष्णा उत्तरदाताओं के लिए।

न्यायालय का निर्णय **डॉ. अरिजीत पसायत, जे.** द्वारा दिया गया था: 1. अनुमति दी गई।

2. इस अपील में चुनौती झारखंड उच्च न्यायालय के एक डिवीजन बेंच द्वारा पारित आदेश के खिलाफ है जिसमें अपीलकर्ता द्वारा दायर रिट याचिका को खारिज कर दिया गया था। उच्च न्यायालय के समक्ष अपीलकर्ता ने केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सेवा कर, रांची के आयुक्त (अपील) द्वारा पारित आदेश को चुनौती दी थी जिसमें अपीलकर्ता द्वारा केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 (संक्षेप में 'अधिनियम') की धारा 35 के तहत दायर अपील को खारिज कर दिया गया था। उक्त आदेश को उच्च न्यायालय में एक रिट याचिका दाखिल कर चुनौती दी गई थी। आयुक्त ने अपील को केवल इस आधार पर खारिज कर दिया था कि यह मूल आदेश की सेवा की तारीख से 21 महीने बाद दायर की गई थी और अपीलीय प्राधिकारी के पास 60 दिनों की अवधि समाप्त होने के 30 दिनों के बाद देरी को माफ करने का अधिकार नहीं था जैसा कि विधायिक रूप से निर्धारित है।

3. डिवीजन बेंच ने नोट किया कि चूंकि आयुक्त के पास विधायिक रूप से निर्धारित अवधि के बाद देरी को माफ करने का कोई अधिकार नहीं था, इसलिए रिट याचिका में कोई योग्यता नहीं थी। उच्च न्यायालय के समक्ष इस न्यायालय के एक निर्णय *आई.टी.सी. लिमिटेड बनाम भारत संघ,* [1998] 8 एससीसी 610 पर भरोसा करते हुए तर्क दिया गया था कि उच्च न्यायालय के पास देरी को माफ करने का अधिकार है। यह तर्क उच्च न्यायालय द्वारा स्वीकार नहीं किया गया।

4. अपील के समर्थन में, अपीलकर्ता के वकील ने प्रस्तुत किया कि यदि तर्क के लिए यह स्वीकार भी कर लिया जाए कि आयुक्त के पास देरी को माफ करने का कोई अधिकार नहीं था, फिर भी उच्च न्यायालय के पास भारत के संविधान, 1950 (संक्षेप में 'संविधान') के अनुच्छेद 226 के तहत दिए गए अधिकार का प्रयोग करके देरी को माफ करने का अधिकार है। यह कहा गया कि इस संबंध में शक्ति किसी भी विधायिक प्रावधान से अप्रभावित है।

5. दूसरी ओर, उत्तरदाताओं के वकील ने आयुक्त और उच्च न्यायालय के आदेशों का समर्थन किया।

6. इस समय, यह धारा 35 के अधिनियम को नोट करना प्रासंगिक है जो निम्नानुसार है:

"35. आयुक्त (अपील) को अपील।

(1) कोई भी व्यक्ति जो केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिकारी द्वारा इस अधिनियम के तहत पारित किसी भी निर्णय या आदेश से पीड़ित है, जो केंद्रीय उत्पाद शुल्क के आयुक्त से निम्नतर रैंक का है, वह केंद्रीय उत्पाद शुल्क (अपील) के आयुक्त [यहां इस अध्याय में आयुक्त (अपील) कहा जाएगा] के पास, ऐसे निर्णय या आदेश के संचार की तिथि से साठ दिनों के भीतर अपील कर सकता है:

प्रदान किया गया कि यदि आयुक्त (अपील) संतुष्ट है कि अपीलकर्ता को उपरोक्त साठ दिनों की अवधि के भीतर अपील प्रस्तुत करने से पर्याप्त कारणों से रोका गया था, तो वह इसे और तीस दिनों की अवधि के भीतर प्रस्तुत करने की अनुमति दे सकता है।

(2) इस धारा के तहत हर अपील निर्धारित रूप में होगी और निर्धारित तरीके से सत्यापित होगी।"

7. यह नोट करना आवश्यक है कि "साठ दिन" और "तीस दिन" को अधिनियम 14, 2001 द्वारा 11.5.2001 से "तीन महीने" और "तीन महीने" के लिए प्रतिस्थापित किया गया है।

8. केंद्रीय उत्पाद शुल्क (अपील) के आयुक्त और ट्रिब्यूनल दोनों ही विधायिका द्वारा निर्मित होते हैं और उन्हें विधायिक द्वारा निर्धारित अवधि के बाद देरी को माफ करने का अधिकार नहीं होता है। देरी माफी के लिए प्रार्थना स्वीकार करने की अवधि विधायिक रूप से निर्धारित होती है। प्रस्तुत किया गया कि भारतीय सीमांकन अधिनियम, 1963 (संक्षेप में 'लिमिटेशन एक्ट') की धारा 5 की तर्कसंगतता को देरी माफी के लिए उपयोग किया जा सकता है। धारा 35 के पहले प्रावधान से स्थिति स्पष्ट होती है कि अपील को निर्णय या आदेश के संचार की तिथि से तीन महीने के भीतर दायर करना होता है। हालांकि, यदि आयुक्त संतुष्ट है कि अपीलकर्ता को उपरोक्त साठ दिनों की अवधि के भीतर अपील प्रस्तुत करने से पर्याप्त कारणों से रोका गया था, तो वह इसे और तीस दिनों की अवधि के भीतर प्रस्तुत करने की अनुमति दे सकता है। दूसरे शब्दों में, यह स्पष्ट रूप से दिखाता है कि अपील को साठ दिनों के भीतर दायर करना होता है, लेकिन प्रावधान के अनुसार अपीलीय प्राधिकारी द्वारा अपील को स्वीकार करने के

लिए अतिरिक्त तीस दिनों का समय दिया जा सकता है। धारा 35 की उपधारा (1) का प्रावधान स्थिति को स्पष्ट करता है कि अपीलीय प्राधिकारी के पास तीस दिनों की अवधि के बाद अपील को प्रस्तुत करने की अनुमति देने का कोई अधिकार नहीं है। प्रयुक्त भाषा स्थिति को स्पष्ट करती है कि विधायिका ने अपीलीय प्राधिकारी को साठ दिनों की सामान्य अवधि के बाद तीस दिनों तक देरी माफ करने का अधिकार दिया है। इसलिए, लिमिटेशन एक्ट की धारा 5 को पूरी तरह से बाहर रखा गया है। आयुक्त और उच्च न्यायालय, इसलिए, तीस दिनों की अवधि समाप्त होने के बाद देरी माफ करने का कोई अधिकार नहीं था।

9. अपीलकर्ता के वकील ने कुछ निर्णयों पर जोर दिया है, विशेष रूप से आई.टी.सी. के मामले (उपरोक्त) पर, यह तर्क देने के लिए कि उच्च न्यायालय और इस न्यायालय ने पर्याप्त कारण दिखाए जाने पर उचित मामलों में देरी माफ की है।

10. पर्याप्त कारण एक अभिव्यक्ति है जो विभिन्न विधानों में पाई जाती है। इसका मुख्य अर्थ है पर्याप्त या पर्याप्त मात्रा में। देरी के कारण के स्पष्टीकरण को स्वीकार या अस्वीकार करने के लिए कोई एकसूत्री नियम नहीं हो सकता। इस मामले में, लगभग 20 महीनों की असामान्य देरी के लिए दिया गया स्पष्टीकरण यह है कि अपीलकर्ता का व्यवसाय 1998 के बाद व्यावहारिक रूप से बंद हो गया था और यह केवल कुछ समय के लिए खोला गया था। देरी माफी के लिए दिए गए आवेदन से प्रतीत होता है कि अपीलकर्ता ने स्पष्ट रूप से स्वीकार किया है कि आदेश प्राप्त होने पर उसे तुरंत सलाहकार को अपील दाखिल करने के लिए सौंप दिया गया था। यदि ऐसा है, तो यह तर्क कि व्यापार में अनुभव की कमी के कारण देरी हुई, असंगत है। आई.टी.सी. का मामला (उपरोक्त) उस मामले के विशेष पृष्ठभूमि तथ्यों को ध्यान में रखकर दिया गया था। उस मामले में, इस न्यायालय द्वारा यह कानून घोषित नहीं किया गया था कि यद्यपि विधायिका ने एक विशेष सीमा अवधि निर्धारित की है, फिर भी यह न्यायालय देरी माफ करने का निर्देश दे सकता है। ऐसा करने से सीमांकन के लिए विशेष प्रावधान व्यर्थ हो जाएगा। किसी भी स्थिति में, देरी माफी के लिए दिखाए गए कारणों का कोई स्वीकार्य मूल्य नहीं है। इस दृष्टिकोण से, अपील को खारिज किया जाना चाहिए जो हम निर्देश देते हैं। लागत के रूप में कोई आदेश नहीं होगा।

आर.पी. **अपील खारिज।**

***यह अनुवाद मो. नसीम अख्तर पैनल अनुवादक (झारखंड उच्च न्यायालय, रांची) द्वारा किया गया।**